राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमाँकःप.4(51)नविवि/II/2017 जयपुर,दिनांकः– 24 JUN 2019

आज्ञा

सुश्री शीना गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता(निलंबित) नगरीय विकास विभाग की जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रथम कार्यग्रहण दिनांक 31.05.2011 हैं। सुश्री गुप्ता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्व अपराध संख्या– 279/2013 में राज्य सेवा से सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमाँकः–प. 2(212)जविप्रा/संस्था/2011 दिनांक 25.06.2013 द्वारा निलम्बित किया गया जिसकी पुष्टि नगरीय विकास विभाग द्वारा आदेश क्रमाँकः– प.1(10)नविवि/II/2013 दिनांक 25.07.2013 करते हुए अभियोजन स्वीकृति आदेश क्रमाँकः– प.1(10) नविवि/II/2013 दिनांक 02.07.2014 द्वारा ज़ारी की गई।

दिनांक 30.04.2019 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पंजीबद्व आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित किए गए अधीनस्थ सेवा संवर्ग के कर्मचारियों को निलम्बन से बहाली बाबत शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग(अनु0–3) की आज्ञा क्रमाँकः– प.(23)प्र.सु./अनु.–3/99 दिनांक 12.01.2011 के अनुसार प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की अध्यक्षता में पुनरावलोकन समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में सुश्री शीना गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता(निलंबित) को निलम्बन अवधि 03 वर्ष से अधिक होने तथा चालान पेश हुए 01 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के प्रतिनिधि द्वारा बहाली हेतु आपत्ति नहीं किए जाने के कारण सुश्री गुप्ता को निलम्बन से बहाल किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतः सुश्री शीना गुप्ता को तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता हैं। सुश्री गुप्ता निलम्बन से बहाली उपरान्त अपनी उपस्थिति आदेशों की प्रतीक्षा में नगरीय विकास विभाग में देंगी। सुश्री गुप्ता के पदस्थापन आदेश पृथक से किए जाएंगे।

सुश्री शीना गुप्ता की निलम्बन अवधि का नियमन इनके विरूद्व न्यायालय में लम्बित प्रकरण के निर्णयानुसार गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा।

आज्ञा से,

(मगन लाल योगी)
शासन संयुक्त सचिव–II

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर।
5. संबंधित अधिकारी / व.शासन उपसचिव को अपलोड हेतु
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

(कैलाश चन्द्र कुमावत)
शासन सहायक सचिव–II